

प्रेषक,

शंभु शरण, मा०प० से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 19/07/2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा—PMCH, पटना, JLNCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एवं JNKTMCH, मधेपुरा में GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर सेंटेज सहित रू० 14,77,30,077 /— (रुपये चौदह करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 3,00,00,000 /— (रुपये तीन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक—1940, दिनांक—10 06 2024 एवं पत्रांक—4620, दिनांक—29 08 2024 द्वारा राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा—PMCH, पटना, JLNCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एवं JNKTMCH, मधेपुरा में GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु रू० 14,77,30,077 /— (रुपये चौदह करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या 119(7), दिनांक—07 08 2024 द्वारा दी गयी। इससे राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों के नामांकन, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षणिक—प्रशैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य, फैकल्टी की शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक गतिविधियों, उपस्थिति, आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का Follow-up, मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौंसिल में छात्रों का रजिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय से सूचना का ऑनलाईन आदान—प्रदान, भविष्य में छात्रों के प्रमाण—पत्रों के सत्यापन आदि विषयों के लिए एक IT Solution को उपयोग में लाया जा सके।

2— तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा—PMCH, पटना, JLNCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एवं JNKTMCH, मधेपुरा में GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर सेंटेज सहित रू० 14,77,30,077 /— (रुपये चौदह करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 3,00,00,000 /— (रुपये तीन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3— इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० में)	व्ययदेश स० / आवंटनादेश स० एवं दिनांक
1	2024-25	1,00,00,000 /—	स०-228(7), दिनांक—21 10 2024
2	2024-25	1,00,00,000 /—	स०-461(7), दिनांक—27 02 2025
3	2024-25	5,00,00,000 /—	स०-588(7), दिनांक—28 03 2025
कुल योग—		7,00,00,000 /—	

4— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स०-119(7), दिनांक—07 08 2024 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

17/07/2025

5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उप-शीर्ष-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष 52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई मद में उपबधित राशि से किया जायेगा।

6- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग के भी उपलब्ध करायेगे।

9- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 9470/वि०, दिनांक-20.10.2023 एवं 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

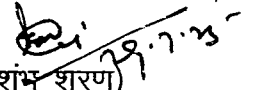
10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०स०-7/बजट-46-16/2021 के पृष्ठ- 47/टि० पर प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- यह मात्र व्ययादेश है, आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

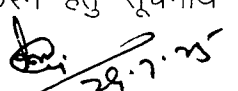

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-7/बजट-46-16/2021 - 178 (7)/स्वा०, पटना, दिनांक-29/07/2025

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/संबधित प्रमडलीय आयुक्त/संबधित जिला पदाधिकारी/संबधित प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव